न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–5/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/5)

1. नारायण पुत्र नंदा जाति जाट निवासी ग्राम भूखरखेडा, शिखरानी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र घीसाराम
2. सांवरलाल पुत्र घीसाराम
   दोनों जाति जाट, निवासी गुलाबपुरा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा।
3. नगर पालिका, बिजयनगर जरिए अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 30.09.2022 न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 327/2021(2021/698)

उपस्थितः–
1. श्री हेमराज गुप्ता, अरविंद शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री वैभवकृष्ण पारिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2
3. श्री एस0पी0औझा,अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03
4. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04

निर्णय

दिनांकः–19.10.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 327/2021(2021/698) में पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील अधिकारी

अधिनियम का विरूद्ध अपीलांट व शेष रेस्पोडेंट उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। लेकिन न्यायालय की आदेशिक में कही भी नोटिस प्रस्तुत होने अथवा नोटिस जारी होने का अंकन नहीं है एवं सीधे ही दिनांक 4.5.2022 की आदेशिका में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता सलीम बाबू द्वारा वकालतनामा पेश किया जाना एवं अप्रार्थी संयख्या 1 व 3 के नोटिस तामिल होने के बावजूद हाजिर नहीं होना अंकित किया गया एवं पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 5.8.2022 को आदेशिका में अंकित किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 हाजिर नहीं, आज उन्हें अदालत उठने तक बार-बार आवाजे लगवाई गई, परंतु उनकी ओर से कोई अदालत में उपस्थित नहीं आया। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है एवं पत्रावली अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब हेतु नियत की जाकर अंतिम अवसर प्रदान किया गया तथा आगामी तारीख पेशी कांट-छांट कर दिनांक 30.9.2022 अंकित की गई। वर्तमान अपीलांट एवं वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 3 नगर पालिका बिजयनगर के विरूद्ध युक्तियुक्त तामिल कराए बिना अवैधानिक रूप से एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 4 तहसीलदार बिजयनगर से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर पटवारी तहसील बिजयनगर द्वारा दिनांक 25.7.2022 को रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाई गई। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अवैधानिक रूप से अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.9.2022 से प्रार्थीगण/विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार का आराजी खसरा संख्या 128 में से 337 बाई 30 फीट यानि 10110 वर्गफीट भूमि एवं खसरा संख्या 140 में से 184 बाई 30 फीट यानि 5520 वर्गफीट को राजस्व रिकार्ड में सरकारी सिवायचक गै0मु0 रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 327/2021(2021/698) में पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध अवैधानिक रूप से एकतरफा कार्यवाही करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.9.2022 पारित किया है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं थी। दिनांक 26.12.2022 को विपक्षीगण द्वारा निर्धारित राशि जमा कराए जाने पर तहसीलदार बिजयनगर द्वारा एक पत्र भू अभिलेख निरीक्षक बिजयनगर को प्रेषित कर जमा राशि केशियर हाजा से प्राप्त कर आराजी खसरा संख्या 128 के खातेदारों को हिस्से अनुसार/आदेशानुसार वितरीत कर पालना रिपोर्ट से अवगत कराने बाबत लिखा। जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रार्थी से संपर्क कर जानकारी दिए जाने पर आक्षेपित निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.12.2022 को आक्षेपित निर्णय एवं आवश्यक दस्तावेजो की प्रमाणितप्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 28.12.2022 को प्राप्त हुई। प्रकरण संबंधित आवश्यक दस्तावेज

19.10.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

एकत्रित कर प्रार्थी दिनांक 29.12.2022 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से संपर्क किया, जिनके द्वारा बिना किसी देरी के उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए लेकिन न्यायालय की आदेशिका में कही भी नोटिस प्रस्तुत होने अथवा नोटिस जारी होने का अंकन नहीं है एवं पत्रावली में अप्रार्थीगण की तामिल जरिए रजिस्टर्ड एडी कराए जाने बाबत कोई आदेश नहीं होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में संलग्न एडी पत्र पर अपीलांट नारायण के फर्जी हस्ताक्षर अंकित है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आधार पर गैर कानूनी रूप से अपीलांट पर युक्तियुक्त तामिल कराए बिना अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है। प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते-हुए प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिए एवं किसी भी पक्षकार को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के उक्त सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बिना एकतरफा में आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संपूर्ण तथ्य अंकित किए बिना प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, अर्थात विपक्षीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। विपक्षीगण के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 136 व 129 में से होते हुए खसरा संख्या 130 व 131 के लिए मौजूद है एवं इसी प्रकार खसरा संख्या 121, 122 जो विपक्षीगण के परिवारजनों के ही है की तरफ से भी विपक्षीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। विपक्षीगण उसी रास्ते से अपनी आराजी में आते जाते रहे है। वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद भी विपक्षीगण द्वारा अवैधानिक रूप से अपीलांट की आराजी में से रास्ता चाहा गया है जो कतई न्यायोचित व न्याय संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ने पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट प्रेषित की है, उक्त मौका रिपोर्ट सभी पक्षकारों की उपस्थिति में नहीं बनाई गई है ऐसी स्थिति में एकतरफा में बनाई गई उक्त मौका रिपोर्ट का कानूनन कोई महत्व नहीं है एवं एकतरफा में निर्मित मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट मंगवाए बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है। यह विधि का सुस्थापित प्रावधान है कि मौका रिपोर्ट आई०एल०आर व उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी द्वारा ही बनाई जाएगी। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सुस्थापित कानूनी प्रावधानों नजरअंदाज करते हुए पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शे में पूर्णतया विरोधाभास है, मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 128

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

19.10.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

व 140 में से आवागमन होना एवं उक्त रास्ता ही सुलभ रास्ता होना अंकित किया है। जबकि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 141 जहां पुराना गै0मु0 चाह रहा है, से होते हुए खसरा संख्या 128 में से होकर खसरा नम्बर 127 से होकर विपक्षीगण की आराजी खसरा नम्बर 126 में जाने का दर्शाया है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में पूर्णतया विरोधाभास है। नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ते में खसरा संख्या 127 जो नगर पालिक बिजयनगर के नाम अंकित है, के बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुविधानुसार रास्ता नहीं दिया जा सकता। जब खातेदार के पास में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ना हो, तो ही सबसे नजदीकी रास्ता खातेदार को प्रदान किए जाने के प्रावधान धारा 251 ए में अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण/रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा वो ही रास्ता अपीलांट की आराजीयात तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी व सुलभ रास्ता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किए बिना निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 327/2021(2021/698) में पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– 2022(2) आरआरटी 1096, 2023(1) आरआरटी 486, 2022(1) आरआरटी 693, 2022–2023(सप0) आरआरटी 200, 2023 (1) आरआरटी 490.

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन झूठे है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए में कथन किया कि मौजा शिखरानी पटवार हल्का शिखरानी तहसील विजयनगर में प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 126, 130, 131, 133, 2543/124, 2545/132 की भूमियां राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में आने जोन हेतु रास्ता नहीं है, जिसके सटते हुए पूर्वी दिशा में विपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की खसरा नम्बर 128 व 140 है एवं खसरा नम्बर 128 व 140 के पूर्वी दिशा में आम रास्ता है जो प्रार्थीगण की आराजी व आम रास्ता के मध्य खसरा नम्बर 128 व 140 ही स्थित है। तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त खसरान में से प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क होगा उसे जमा कराने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 128 व 140 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलाया जावे। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी

19.10.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिल के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर उनके जवाब का हक बंद किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में वर्तमान रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि शिखरानी पटवार हल्का शिखरानी तहसील बिजयनगर में प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 126, 130, 131, 133, 2543/124, 2545/132 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 128 रकबा में से 337 बाई 30 फिट यानि 10110 वर्गफीट भूमि एवं खसरा नम्बर 140 रकबा में से 184 बाई 30 फिट यानि 5520 वर्गफीट भूमि रास्ते हेतु अंकित किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। उक्त भूमि पर डीएलसी राशि के अनुसार रास्ते में जो भूमि 337 बाई 30 फिट यानि 10110 वर्गफीट 184 बाई 30 फिट यानि 5520 वर्गफीट जाएगी उसकी डीएलसी राशि की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नियमानुसार अदा की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने बहुपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.2022 की जानकारी उन्हें मुआवजा राशि से संबंधित एक पत्र दिनांक 26.12.2022 जो कि तहसीलदार विजयनगर द्वारा भूअभिलेख निरीक्षक विजयनगर को प्रेषित कर जमा राशि केशियर हाजा से प्राप्त कर आराजीया संख्या 128 के खातेदारों को हिस्से अनुसार/आदेशानुसार वितरित कर पालना रिपोर्ट से अवगत करवाने बाबत लिखा गया था। जिसकी पालना में भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रार्थी से संपर्क कर जानकारी दिए जाने पर आक्षेपित निर्णय की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.12.2022 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 28.12.2022 को नकल प्राप्त की गई तथा दिनांक 29.12.2022 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से संपर्क कर अपील प्रस्तुत की गई। देरी को क्षमा किया जाए। वकील प्रार्थी द्वारा गुणावगुण पर प्रकरण निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।

9. अपील को दिनांक 30.12.2022 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.9.2022 का है। **न्यायालय प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहता है, तथा अपील को जानकारी दिनांक से अंदर मियाद शुमार किया जाता है।**

10. अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करने के बाद दिनांक 5.1.2023 को अंतरिम स्थगन आदेश देते हुए राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बाबत आदेश जारी किया गया।

11. वकील बहुपक्ष बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि विवादित भूमियां ग्राम शिखरानी की हैं रेस्पोडेंट द्वारा अपने खसरा नम्बरों 126,130,131,133, 2543/124, 2545/131 तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 128 और 140 से होकर गुजरने बाबत रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 128 अपीलांट द्वारा अपना बताया गया तथा 140 नगर पालिका विजयनगर के नाम होना बताया गया। वर्तमान रेस्पोडेंट 1व 2 के द्वारा 251 आरटी एक्ट के तहत इस बाबत प्रार्थना पत्र

19.10.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आगे बहस में यह बताया कि न्यायालय आदेशिका में रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए जाने बाबत कोई अंकन नहीं है। (दिनांक 4.5.2022) साथ ही यह भी कहा कि न्यायालय आदेशिका दिनांक 5.8.2022 जवाब हेतु तय किए गए दिनांक में कटींग की गई। न्यायालय प्रोसिडिंग की आदेशिका में रजिस्टर्ड एडी बाबत कोई आदेश नहीं है तथा रजिस्टर्ड एडी पर नारायण के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। मौका रिपोर्ट दिनांक 25.7.2022 पटवारी द्वारा ही बनाई गई है। खसरा नम्बर 127 नगर पालिका के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 128 हमारा है। मगर यह खसरा नम्बर 126 से जुडा हुआ नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा बताया गया खसरा नम्बर 2543/124 तथा 2545/132 का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं है। खसरा नम्बर 141 कुए का हवाला पटवारी रिपोर्ट में नहीं है अंत में कहा कि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है।

12. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा बहस में बताया गया कि दिनांक 9.12.2021 को रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए गए है। दिनांक 4.5.2022 को वर्तमान अपीलांट व तहसीलदार विजयनगर को नोटिस तामिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। तथा रेस्पोडेंट 2 नगर पालिका की ओर से उनके वकील सलीम बाबू उपस्थित हुए तथा जवाब के लिए समय मांगा था। साथ ही उन्होंने यह कहा कि दिनांक 5.8.2022 को नारायण वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा दी गई। बहस दिनांक 30.9.2022 को तय की गई थी। तबतक नगर पालिका द्वारा कोई जवाब प्रस्तुंत नहीं किया गया बहस के दिन वकील नगर पालिका उपस्थित थे। नारायण के फर्जी हस्ताक्षर बाबत यह सक्षम न्यायालय में उज्रदारी करें। वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। साथ ही अपील को देरी से प्रस्तुत करना बताया है तथा धारा 5 बाबत कोई आधार नहीं दिया जाना बताया गया है। जानकारी कैसे मिली इस बाबत शपथ पत्र देवें। मुआवजा राशि हमारे द्वारा जमा करवा दी गई है।

13. रेस्पोडेंट 3 की ओर से उनके अभिभाषक ने बहस में बताया कि नियम की पालना किए बिना आदेश जारी किया गया है। राजस्थान टिनेंसी नियम 69 के अनुसार मौका निरीक्षण गिरदावर से निम्न श्रेणी का कोई अधिकारी निरीक्षण नहीं करेगा हमने वकालतनामा दिनांक 5.8.2022 को ही दे दिया। तहसीलदार से मौका निरीक्षण मंगवाने बाबत कोई आदेश न्यायालय प्रोसिडिंग पर अंकित नहीं है। निरीक्षण पटवारी द्वारा किया गया। नगर पालिका के स्वामित्व वाली भूमि आबादी भूमि है जिस पर रास्ता नहीं दिया जा सकता। दिनांक 5.8.2022 की प्रोसिडिंग में अगली तिथि जो तय की गई थी उसमें कटींग है और उस कटिंग पर हस्ताक्षर नहीं है। रास्ता नहीं होने पर लघुत्तम रास्ता दिया जाना चाहिए। प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया जाए।

14. अपीलांट अभिभाषक द्वारा रिबूटल में कहा गया है कि नोटिस जारी करने बाबत कोई निर्देश पत्रावली पर नहीं है इस बात पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट 1 व 2 के बहस बिंदुओं पर रिबूटल में रेस्पोडेंट संख्या 3 के अभिभाषक द्वारा यह कहा गया कि डेट में कांटा फांसी की गई है। नगर पालिका के वकील के बहस में बताए गए बिंदुओं पर रिबूटल में वकील रेस्पोडेंट 1 व 2 द्वारा यह कहा गया कि आर्डर 41 रूल 21 सीपीसी के तहत ही रेस्पोडेंट 2 द्वारा ऑबजेक्शन किया जा सकता है। तथा अपील न्यायालय में तामिल होने के एक माह में उसे जवाब प्रस्तुत करना

19/10/2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

चाहिए था। साथ ही उनके द्वारा यह कहा गया कि नगर पालिका की स्वामित्व वाली भूमि आबादी नहीं होकर बारानी है।

15. वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान निम्न न्यायिक दृष्टात पेश किए गए है। आरआरटी 2022(2) पेज् 1096 आरआरटी 2023(1) पेज 486 आरआरटी 2022(1) पेज 693 (गिरदावर से निम्न श्रेणी का अधिकारी मौका निरीक्षण नहीं करेगा) तथा आरआरटी 2022–2023 (सप0) पेज 200, आरआरटी 2023 (1) पेज 490 (मौका निरीक्षण से पूर्व खातेदारों को नोटिस दिया जाना तथा उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाया जाना आवश्यक है।) पेश किए है।

16. बहस सुनी गई बहस बिंदुओं पर मनन किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 327/2021 ओमप्रकाश व अन्य बनाम नारायण व अन्य न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 30.9.2022 तक का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.9.2022 का आवलोकन किया गया। प्रथम सुनवाई दिनांक 9.12.2021 को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने का अंकन किया हुआ है। दिनांक 4.5.2022 की आदेशिका में यह अंकन किया हुआ है।. **"प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से श्री सलीम बाबू ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा व अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त परंतु हाजिर नहीं पत्रावली वास्ते जवाब तामिली आदेश हेतु दिनांक 26.5.2022 को पेश हो"।**

17. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दो पोस्ट कार्ड संलग्न किए हुए है। एक पोस्ट कार्ड पर प्राप्ति रसीद लिखा जाकर अधीशाषी अधिकारी विजयनगर अंकित किया हुआ है दिनांक 20.1.2022 दर्ज किया हुआ है एक अन्य पोस्टकार्ड पर रसीद अंकित किया जाकर अपीलांट का नाम दर्ज किया हुआ है तथा नारायण नाम से हस्ताक्षर किया जाना दृष्टिगोचर होता है मगर तारीख का कोई अंकन उक्त हस्ताक्षर के नीचे अंकन नहीं है। दिनांक 5.8.2022 को वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिस पर तहसीलदार को हेतुक दर्शित करने हेतु सूचना बाबत नोटिस उपलब्ध है। अन्य रेस्पोडेंट (वर्तमान अपीलांट) को हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना हेतु नोटिस पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नहीं पाया गया। सिर्फ एक पोस्ट कार्ड पत्रावली पर मौजूद है जिस पर नारायण लिखा हुआ पाया गया है। स्पष्ट है कि नारायण की तामिल हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश-5 के नियमों के अनुरूप कोई प्रयास नहीं किया गया है और विधिक रूप से तामिल नहीं होते हुए भी तामिल मानते हुए आगे की कार्यवाही जल्दबाजी से कर दी गई है।

18. दिनांक 30.9.2022 को न्यायालय आदेशिका में यह अंकित किया हुआ है **" वादीगण को अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 हाजिर नहीं आवाजे लगवाई गई उनकी ओर से कोई आदमी उपस्थित नहीं अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब हक बंद किए जातें है। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथ्क से टाईप करवाकर मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से क्रम हो बाद दफ्तर दाखिल हो"। अपने निर्णय में नगर पालिका के अभिभाषक को बहस में पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित बताया गया है। जबकि आदेशिका दिनांक 30.2.2022 में अप्रार्थी संख्या 2 हाजिर नही तथा उनकी और**

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1/3/10/2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

से कोई आदमी उपस्थित नही यह अंकित किया हुआ है। जोकि विरोधाभाषी है।

19. मौका निरीक्षण रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के आदेश पर प्रकरण 327/2021 में तैयार की गई है, मगर तहसीलदार के किस आदेश कमांक के संदर्भ में उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है, यह स्पष्ट नहीं होता है। उक्त मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थी के खसरा नम्बर 126......... 2545/132 में आने जाने के लिए अन्य कोई सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. प्रार्थी वर्तमान में आने जाने हेतु मौजा शिखरानी के खसरा नम्बर 128 से प्रवेश कर अपनी आराजी पर जाता है।
3. प्रार्थीगण के आराजी तक पहुंचने हेतु पास जो सडक मार्ग है वह खसरा नम्बर 128 व 140 से ही सुगम है।
4. प्रार्थीगण के खसरा नम्बर तब पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 128, 140 आते है। जिनका 337 गुणा 30 बराबर 10110 वर्ग फीट खसरा नम्बर 128 से तथा खसरा नम्बर 140 से 184 गुणा 30 बराबर 5520 वर्ग फीट भूमि प्रभावित होगी भूमि असींचित है।
5. ग्राम शिखरानी के सडक के पास की डीएलसी दर तहसील स्तर से संलग्न होगी।
6. प्रार्थी की आराजी तक जाने के लिए पूर्व में खसरा नम्बर 128 में डोटेट रास्ता बना है वह तथा जिसमें रास्ता डोटेट नहीं है दोनों नक्शों की फोटो प्रति संलग्न है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही हू-बहू रिपोर्ट तहसीलदार विजयनगर द्वारा दिनांक 16.8.2022 को उपखण्ड अधिकारी मसूदा को भिजवाया जाना पाया जाता है।

20. ऊपरलिखित विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर निरीक्षण हेतु नहीं गए है। ना ही भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका स्थल निरीक्षण किया गया है। राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 251 ए के तहत उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाए हुए हैं। जिसके नियम 69 पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान में यह अंकित किया हुआ है। " प्रपत्र एक में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल (साईट) का निरीक्षण करेगा या जो किसी अधिकारी द्वारा जो भू निरीक्षक अभिलेख के पद (रैंक) से नीचे का नहीं होगा एंव निरीक्षण करवाएगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी ओर अग्रिम जांचं जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद यदि इससे अपना समाधान कर लेता है कि " 1. आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है एवं 2. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नए रास्ते के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है। वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र आवेदन किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिशचित किया जाएगा। वर्तमान प्रकरण में मात्र पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण द्वारा किया गया जो कि नियम 69 की अवहेलना है।

21. उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.9.2022 का अवलोकन किया गया उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय से पूर्व प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित नहीं की।

22. प्रकरण में सिर्फ पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है जो नियम 69 की आज्ञापक प्रावधान की अवहेलना है।

19.10.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

23\. राजस्व ग्रुप 6 विभाग द्वारा दिनांक 14.6.2013 में राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। जिसमें डीएलसी की दो गुना राशि लिए जाने का प्रावधान किया गया है। मगर यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौडा नहीं होगा रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जाएगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा मगर खसरा नम्बर 140 नगर पालिका विजयनगर के नाम दर्ज है। जो कि एक स्थानीय निकाय है। स्थाई निकाय के खातों में दर्ज भूमियों से रास्ता लेने बाबत कोई आदेश नहीं है। खसरा नम्बर 140 जमाबंदी 2073–2076 के अनुसार ग्राम शिखरानी 1 की खाता संख्या नया 926 में नगर पालिका विजयनगर के नाम दर्ज है। इसका रकबा 1.099 है0 होकर बारानी–3 के रूप में दर्ज है। साथ ही जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है वह खसरा नम्बर 128 के खेत की मेड के पास पास लालस्याही से अंकित किया हुआ है। मगर उक्त रास्ता खसरा नम्बर 127 की पूर्वी सीमा पर जाकर खत्म हो रहा है। यह रास्ता किस प्रकार खसरा नम्बर 127 से होकर प्रार्थी अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 126 तक जाएगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 127 भी जमाबंदी 2073–2076 ग्राम शिखरानी 1 के अनुसार खाता सख्या नया 965 रकबा 0.257 बारानी–3 नगर पालिका विजयनगर के नाम दर्ज है। यह सही है कि खसरा नम्बर 2546/132 तथा 2544/124 जमाबंदी 2073–2076 ग्राम शिखरानी 1 में अंकित है। मगर नक्शे में इनका अंकन नहीं है। किस आधार पर उक्त खसरा नम्बर तक पहुंचने बाबत रास्ते की मांग अपीलांट द्वारा कि गई है। यह आश्चर्यजनक है। न्यायालय अपीलांट अभिभाषक द्वारा दिए गए न्यायिक दृष्टांतों से बिल्कुल सहमत हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होते हैं। जिसमें निरीक्षणकर्ता गिरदावर स्तर से कम नहीं होना आवश्यक बताया गया है। तथा निरीक्षण से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस दिया जाना भी आवश्यक बताया है। इन दोनों आज्ञापक प्रावधानों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना नहीं की गई है जो नियम विरूद्ध है। आरआरटी 2022(2) पेज 1096 आरआरटी 2023(1) पेज 486 आरआरटी 2022(1) पेज 693 (गिरदावर से निम्न श्रेणी का अधिकारी मौका निरीक्षण नहीं करेगा) तथा आरआरटी 2022–2023 (सप0) पेज 200, आरआरटी 2023 (1) पेज 490 (मौका निरीक्षण से पूर्व खातेदारों को नोटिस दिया जाना तथा उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाया जाना आवश्यक है।) पेश किए है। ऊपरलिखित विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 69 की पालना किए बिना प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जिसे किसी भी स्थिति में बहाल नहीं रखा जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

24\. **अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार कि जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 327/2021 बउनवानी ओमप्रकाश बनाम नारायण निर्णय अंतर्गत 251ए आरटी एक्ट निर्णय दिनांक 30.9.2022 को अपास्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि धांरा 251 ए आरटी एक्ट व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 व 70 की पालना करते हुए तहसीलदार/भू0अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब करके दो माह में प्रकरण का निस्तारण करे। पक्षकारान को जरिए अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी मसूदा के न्यायालय में दिनांक 2/11/23 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

25. निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर